रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938
No. 930] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30 , 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

का.आ. 1441(अ)-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कायस वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में अवस्थित 12.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, कायस वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव की विशिष्ट विविधता के वास स्थान के लिए जाना जाता है। अभयारण्य में संकटापन्न प्रजातियों में जैसे हिमालयन मोनल, सामान्य तेंदुआ और अन्य प्रजातियों में काला भालू, गोरल, तेंदुआ, बिल्ली, सियार, भेडिया, नेवला, हिमालय येलो थ्रेटिड मार्टेन, हिमालय मुसंग, गिलहरी, मुख्य वन्यजीव प्रजातियों में पाए जाते है। यह चेड की सात प्रजातियों में से चार प्रजातियों का वास है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते है भारत में हिमालय क्षेत्र के लिए स्थानिक असुरक्षित प्रजातियाँ प्रतिबंधित है जिन्हें महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के लिए हिमालय मोनल के रूप में मान्यता दी गई है । अन्य पक्षियों में वाइट क्रीस्टीड कलीज, चौकोर, काला और ग्रे तीतर है। सरीसृपो में सांपो, छिपकली सामान्य रूप से उपस्थित है;

और, अभयारण्य के अंतर्गत बैन ओके वन 12 सी1 (अ), आर्द्र देवदार वन, पश्चिम मिश्रित शंकुधारी वन, आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वन, सी खारसु ओके वन और अलपाइन चरागाह आते है महत्वपूर्ण स्पप: में देवदार, फीर, स्प्रूस और कैल और बेन, खारसु, प्रुनस, अकेर, जगलन, बक्सल, रहोडोडैनड्रोन, केलटीस, बेतुल, अलनस, असकुलस है ;

और, कायस वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा । में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में कायस वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 50 मीटर से 2.21 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कायस वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) कायस वन्य जीव अभयारण्य के इर्द गिर्द 24.651 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिक संवेदी जोन होगा जिसको विस्तार 50 मीटर 2.21 किलोमीटर तक का होगा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके इर्द गिर्द 77°09'07.853"से 77°13'41.54" पूर्वी देशांतर और 31°59'36.698" से 32°03'41.813" उत्तरी अक्षांश के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू राज्य में कायस वन्य जीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र स्थित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन के ब्यौरे **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोने के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और रेखांश सहित **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन;
(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिक;
(vi) राजस्व;
(vii) कृषि;
(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 12, 21, 27, 33 और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं; और

(v) वर्षा जल संचयन :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरूद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण कायस वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन संबद्ध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाईयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	मत्स्य पालन और शिकार करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	1 से 10 से अधिक ढलानों वाली पहाड़ी पर और किसी नदी और प्राकृतिक नालों के किनारों से 100 मीटर तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा। जब तक कि समिति द्वारा अन्यथा अनुज्ञात नहीं कर दिया गया हो।
(8)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्लास्टिक बैग का उपयोग।	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए)।
(10)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना या गर्म वायु गुब्बारों आदि का उड़ाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना A	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(14)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया

		जाएगा।
(19)	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्युत लाईनों का रोधन।	भूमिगत केबल डालने का बढावा दिया जाना।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के मुक्त संचरण के लिए, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी संपत्तियों को कंटीले तार से घेराबंदी नहीं करेंगे और कोई भी घेराबंदी । मीटर से ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेराबंदी को आंचलित महायोजना में वर्णित समय-सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
(23)	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग A	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(28)	लघु चारे का संचयन और एमएफपी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	ट्रेकिंग और शिविर लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
		संवर्धित क्रियाकलाप
(30)	चालू कृषि वर्षा, पौधा रोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(34)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

5. **मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उपायुक्त, कुल्लू -अध्यक्ष ;

(ii) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(iii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जो एक वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य;

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यपालक इंजीनियर - सदस्य ;

(v) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य ;

(vi) प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव कुल्लु - सदस्य;

(vii) प्रभागीय वन अधिकारी, परबाती -सदस्य;

(viii) प्रभागीय वन अधिकारी, कुल्लू - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/190/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

कायस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थतिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर- मौजूद कायस वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती डी पी एफ 2/ 27 पदरा रीस (सी – I से V) और 2/26 मरहौन डी पी एफ की बाहरी सीमा के साथ लगभग 3000 मीटर चौडी पट्टी के साथ भू- निर्देशांक क्रमश: उत्तर भाग पर 32^0 03'43.819"उ $77^0$10'42.936"पू और उत्तर से पूर्वी भाग पर 32^0 03'41.813"उ $77^0$13'41.54"पू है।

दक्षिण- कायस वन्यजीव अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं के साथ सी – 1 से सी V बी विभाग के 2/ 33 महौत डी.पी.एफ की बाहरी सीमा के साथ लगभग 3500 मीटर चौडी पट्टी के साथ भू – निर्देशांक क्रमश: दक्षिण पूर्व भाग पर 31^0 59'22.145 "उ $77^0$11'57.665"पू और दक्षिण पश्चिम भाग पर 31^0 58'57.614"उ $77^0$09'26.364"पू है।

पूर्व – कायस वन्यजीव अभयारण्य की मौजूद सीमा के साथ 2/14 पीनसु डी.पी.एफ के भाग के साथ लगभग 4000 मीटर चौडी पट्टी के साथ भू – निर्देशांक क्रमश: $32^0$01'48.274"उ $7^0$12'32.663"पू और $32^0$00'35.698"उ $77^0$12'40.736" पू है।

पश्चिम- मौजूद कायस वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती के - III (III वन वर्ग) के भाग के साथ लगभग 150 मीटर चौडी पट्टी के साथ भू – निर्देशांक क्रमश: पश्चिमी भाग पर $32^0$00'13.428"उ $77^0$09'08.245"पू और उत्तर पश्चमी भाग पर $32^0$03'04.004"उ $77^0$09'32.805"पू है।

उपाबंध-II

कायस वन्यजीव पारिस्थितिक संवेदी जोन और ग्रामों के दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा निर्देशांको के पारिस्थितिक संवेदी जोन के जी. पी. एस निर्देशांक

क्र.सं	निर्देशांक	देशांतर	अक्षांश	विवरण (सीमा चिह्न)
1	उत्तर	77°10'42.936"पू 77°13'41.54"पू	32°03'43.819"उ 32°03'41.813" उ	डी.पी.एफ 2/27 पडरा रीस (सी-I से V) 2/26 महौत डी.पी.एफ
2	दक्षिण	77°11'57.665"पू 77°09'26.364"पू	31°59'22.145 "उ 31° 58'57.614"उ	सी-1से सी-1Vबी 2/33 महौतं डी.पी.एफ
3	पूर्व	77°12'32.663"पू 77°12'40.736" पू	32°01'48.274"उ 32°00'35.698"उ	2/14 पीनसु डी.पी.एफ
4	पश्चिम	77°09'08.245"पू 77°09'32.805"पू	32°00'13.428"उ 32°03'04.004"उ	के-III वनो

प्रत्येक राजस्व ग्रामों के एक बिंदु के अक्षांश देशांतर वर्णन, कायस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले भाग

क्र.सं	ग्राम के नाम	देशांतर	अक्षांश
1	तनदला	077°09'49.52" पू	32°01'05.31" उ
2	घौट	077°09'22.95" पू	32°00'39.46" उ
3	धारा	077°09'11.904" पू	32°00'54.019" उ

उपाबंध-III

कायस वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

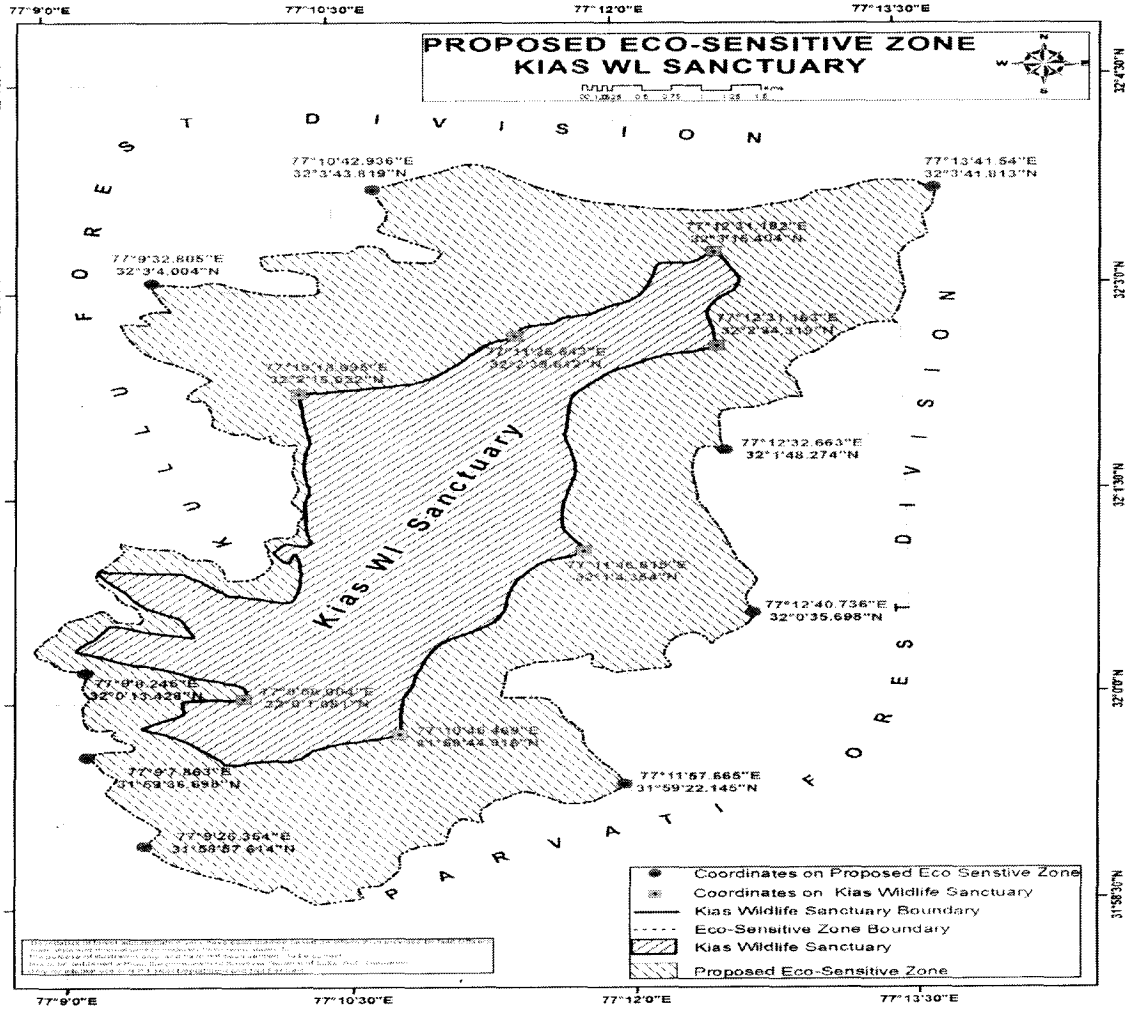

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 1441(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Kais Wild Life Sanctuary located in Kullu District of the State of Himachal Pradesh is spread over an area of 12.61 square kilometers.

AND WHEREAS, Kais Wildlife Sanctuary is known to harbor an exceptional variety of wildlife and the main wildlife species found in the sanctuary are threatened species like, Himalayan Monal, common Leopard and other species such as Black Bear, Goral, Leopard cat, Jackal, Fox, Mongoose, Himalayan Yellow Throated Marten, Himalayan Palm Civet, Flying Squirrel. It is habitat of four species of pheasants out of seven species found in Himachal Pradesh. It has been recognised as important bird area for Himalayan Monal endemic vulnerable species restricted to Himalayan region in India. Among other birds, White Crested Kalij, Chukor, Black and grey partridge. Among reptiles Snakes, Monitor Lizard are of common occurrence.

AND WHEREAS Sanctuary consists of Ban Oak Forests 12C1 (a), Moist Deodar Forests, Western mixed coniferous forests, Moist temperate deciduous forests, C Kharsu Oak Forests and Alpine Pastures and the important spp. are Deodar, Fir, Spruce and Kail and Ban, Kharsu, Prunus, Acer, Juglans, Buxus, Rhododendron, Celtis, Betula, Alnus, Asculus.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected areas of Kais Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of 50 metre to 2.21 kilometres around the boundary of Kais Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Kais Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 24.651 square kilometers around the Kais Wildlife Sanctuary with an extent of 50 metre to 2.21 kilometres. The said Eco-sensitive Zone is the area around the protected area of the Kais Wildlife Sanctuary situated in the Kullu District of the State of Himachal Pradesh between 77°09'07.853" to 77°13'41.54" East Longitude and 31°59'36.698" to 32°03'41.813" North Latitude. The boundary details of Eco-sensitive Zone are annexed as Annexure-I.

(2) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone and GPS coordinates are annexed as Annexure-II.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department .

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12,21,27,33, 34,35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Rainwater harvesting; and
(v) Cottage industries including village industries. convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kais Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Fishing and hunting.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
26.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Collection of small fodder and MFP.	Regulated under applicable laws.
29.	Tracking and camping.	Regulated under applicable laws.
	Promoted activities	
30.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Deputy Commissioner, Kullu - Chairman;
(ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh. - Member;
(iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year - Member;

(iv) Regional Executive Engineer of Himachal State Pollution Control Board - Member;
(v) Senior Town Planner of the area - Member;
(vi) Divisional Forest Officer, Wild Life Kullu - Member;
(vii) Divisional Forest Officer, Parbati - Member;